प्रेस नोट　　　　पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद　　　　दिनांक 21.07.2026

थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 19.07.2026 को थाना भोजपुर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त आजाद उर्फ नन्ने पुत्र अनवार निवासी ग्राम कलछीना थाना भोजपुर गाजियाबाद ने अपने दोस्त शहजाद पुत्र शिदाकत निवासी ग्राम कलछीना थाना भोजपुर गाजियाबाद के साथ मिलकर वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर अपने साथ ले जाकर गलत काम करना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर तत्काल सुसंगत धारा 137(2)/65(1)/61(2) बीएनएस व ¾(2) पॉस्को एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 21.07.2026 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.आजाद उर्फ नन्ने पुत्र अनवार निवासी ग्राम कलछीना थाना भोजपुर गाजियाबाद 2.शहजाद पुत्र शिदाकत निवासी ग्राम कलछीना थाना भोजपुर गाजियाबाद को थाना भोजपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त आजाद पुत्र नन्ने ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं पीडिता को पिछले 05-06 महीने से जानता हूँ, मैं दिनांक 19.07.2026 की सुबह पीडिता को अपने साथी शहजाद के साथ मिलकर बहला फुसला कर अपने घर ले गया था जहाँ मैंने उसके साथ गलत काम किया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.आजाद उर्फ नन्ने पुत्र अनवार निवासी ग्राम कलछीना थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।
2.शहजाद पुत्र शिदाकत निवासी ग्राम कलछीना थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना भोजपुर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना भोजपुर पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 241 पव्वे अवैध शराब बरामद।

आज दिनांक 21.07.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब के साथ अभियुक्त रोशन धोनी पुत्र ओमप्रकाश धोनी मूल निवासी राजीव नगर कण्डोली देहरादून (उत्तराखण्ड) हाल पता ग्राम नवादा थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद को चौकी पचायरा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 241 पव्वे संतरा देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुयी। उपरोक्त बरामदगी के संबंध में अभियुक्त के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर आबकारी अधिनियम की धारा-60/63 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं हरियाणा से चोरी-छिपे देशी शराब खरीद कर लाता हूँ और अधिक मुनाफा कमाने के लिये आसपास के क्षेत्रों में आते-जाते लोगों को बेच देता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रोशन धोनी पुत्र ओमप्रकाश धोनी मूल निवासी राजीव नगर, कण्डोली देहरादून (उत्तराखण्ड) हाल पता ग्राम नवादा थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 38 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

241 पव्वे संतरा देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त बरामदगी के संबंध में थाना ट्रोनिका सिटी पर आबकारी अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 20.07.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त उत्तम उर्फ बाली पुत्र भीमा उर्फ मुन्ना निवासी प्रशांत विहार, रूपनगर थाना लोनी गाजियाबाद को थाना लोनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई जिसके संबंध में दिल्ली में चोरी का अभियोग पंजीकृत है। उपरोक्त चोरी की मोटरसाइकिल की बरामदगी के आधार पर थाना लोनी पर धारा-317(2)/317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने यह मोटरसाइकिल दिल्ली से चोरी की थी। मैं इसे बेचने के लिए बाहर निकला था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

उत्तम उर्फ बाली पुत्र भीमा उर्फ मुन्ना निवासी प्रशांत विहार, रूपनगर थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के संबंध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा थाना स्वरूप नगर आउटर नार्थ दिल्ली में उपरोक्त मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध गांजा की तस्करी करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 21.07.2026 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा **"ऑपरेशन प्रहार"** के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर गांजा की तस्करी करने वाला वांछित अभियुक्त रिहान पुत्र फरमान निवासी मौहल्ला तारापुरी थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ, हाल पता पिपलेड़ा थाना धौलाना जिला हापुड़ को थाना क्षेत्र मसूरी से गिरफ्तार किया गया तथा पूर्व में दिनांक 18.07.2026 को अभियुक्त दानिश पुत्र कलुआ निवासी दूधिया पीपल के पास बाबू कॉलोनी डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया था जिसके कब्जे से 05 किलो 640 ग्राम अवैध गांजा व घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद हुई। जिसके सम्बन्ध में थाना मसूरी पर सुसंगत धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त रिहान ने पूछने पर बताया कि मैं और मेरा साथी दानिश मिलकर दिल्ली व अन्य राज्यों से चोरी छिपे अवैध गांजा लेकर आते हैं तथा गांजा की छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर राह चलते व्यक्तियों को बेच कर लाभ अर्जित करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

रिहान पुत्र फरमान निवासी मौहल्ला तारापुरी थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ, हाल पता पिपलेड़ा थाना धौलाना जिला हापुड़, उम्र करीब 25 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त रिहान के विरुद्ध थाना मसूरी पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गई पीली धातु का टुकड़ा, सफेद धातु का टुकड़ा व चोरी करने के उपकरण बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 12.07.2026 को वादिनी श्रीमती नीरू मित्तल पत्नी वरुण मित्तल निवासी चन्द्र नगर, थाना लिंकरोड, गाजियाबाद द्वारा थाने पर लिखित तहरीर देकर बताया गया कि अज्ञात चोरों द्वारा उनके मकान में घुसकर अलमारी तोड़ते हुए उसमें रखे सोने-चांदी के आभूषण व अन्य सामान चोरी कर लिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लिंकरोड पर धारा 305 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। इसी क्रम में दिनांक 20.07.2026 को थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त **कृष्णा पुत्र सरदार** हाल पता खजूरी पुल के नीचे, दिल्ली, मूल निवासी ग्राम खिरियाई, थाना धरनावदा, जनपद गुना (मध्य प्रदेश),

उम्र करीब 50 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की गई **पीली धातु का टुकड़ा कुल वजन 08.790 ग्राम, सफेद धातु का टुकड़ा कुल वजन 09.720 ग्राम** तथा चोरी करने में प्रयुक्त **एक कटर, एक पाइप रिंच, एक लोहे की Z नुमा रॉड, एक बड़ा पेचकस, एक छोटी टार्च, एक लकड़ी की गुलेल, 07 छोटे पत्थर के टुकड़े एवं एक फेस मास्क** बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा **331(4)/317(2) बीएनएस** की बढ़ोत्तरी कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि उसने अपने साथियों **अजमत** एवं **एहसान** के साथ मिलकर लगभग 7-8 दिन पूर्व चन्द्र नगर क्षेत्र स्थित एक मकान का दरवाजा तोड़कर अलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवर चोरी किए थे। इसके अतिरिक्त लगभग दो माह पूर्व भी तीनों ने एक अन्य मकान की बालकनी के रास्ते घर में प्रवेश कर दरवाजा तोड़ते हुए एक पर्स चोरी किया था, जिसमें सोने-चांदी के आभूषण रखे थे। चोरी किए गए आभूषणों को पहचान छिपाने के उद्देश्य से पिघलाकर टुकड़ों में बदल दिया गया था। बरामद पीली एवं सफेद धातु के टुकड़े उन्हीं चोरी किए गए आभूषणों के हैं, जबकि शेष हिस्सा उसके फरार साथी अजमत के पास है। अभियुक्त इन टुकड़ों को बेचने की फिराक में था, तभी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त ने बताया कि शौक-मौज के खर्चो को पूरा करने करने के लिए उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उक्त घटनाओं को अंजाम दिया।

गिरफ्तार/वांछित अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. कृष्णा पुत्र सरदार, हाल पता खजूरी पुल के नीचे, दिल्ली, मूल निवासी ग्राम खिरियाई, थाना धरनावदा, जनपद गुना, मध्य प्रदेश, **उम्र करीब 50 वर्ष**।
2. अजमत पुत्र बबंग, निवासी ग्राम बीलाखेड़ी, जनपद गुना, मध्य प्रदेश। *(वांछित)*
3. एहसान पुत्र नत्थू, निवासी ग्राम बीलाखेड़ी, जनपद गुना, मध्य प्रदेश। *(वांछित)*

बरामदगी का विवरणः-

- पीली धातु का टुकड़ा कुल वजन 08.790 ग्राम।
- सफेद धातु का टुकड़ा कुल वजन 09.720 ग्राम।
- एक कटर, एक पाइप रिंच, एक लोहे की Z नुमा रॉड, एक बड़ा पेचकस, एक छोटी टार्च, एक लकड़ी की गुलेल, 07 छोटे पत्थर के टुकड़े एवं एक फेस मास्क।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लिंकरोड पर धारा **331(4)/305/317(2) बीएनएस** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा जानलेवा हमले की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 19.07.2026 को वादी युधिष्ठर चौधरी पुत्र रूप चौधरी निवासी सेक्टर-14, वसुन्धरा, गाजियाबाद द्वारा थाना इन्दिरापुरम पर लिखित तहरीर देकर बताया गया कि दिनांक 18.07.2026 को 06-07 व्यक्तियों द्वारा गाड़ी हटाने की बात को लेकर बेसबॉल के बल्ले से हमला कर उसके साथ मारपीट की गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना इन्दिरापुरम पर धारा 189/115(2)/131/352 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर धारा 189 बीएनएस का लोप करते हुए धारा 191(2)/109(1) बीएनएस की वृद्धि की गई। सीसीटीवी फुटेज, मैनुअल इनपुट एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर घटना में प्रकाश में आए अभियुक्त ओम धामा एवं हिमांशु राणा की तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 20.07.2026 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान साहिबाबाद मंडी के सामने से दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि दिनांक 18.07.2026 को वे निगसन सोसायटी के पास अपनी कार लेकर पहुंचे थे। उसी स्थान पर युधिष्ठर चौधरी भी अपनी कार खड़ी कर अंडे खा रहा था। अपनी गाड़ी निकालने के लिए उन्होंने युधिष्ठर से वाहन हटाने को कहा, जिस पर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर उन्होंने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर बेसबॉल के बल्ले एवं हाथ-मुक्कों से युधिष्ठर के साथ मारपीट की और उसे गंभीर रूप से घायल कर मौके से फरार हो गए।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. ओम धामा पुत्र मदनलाल धामा नि0 ए-141 झंडापुर ,आई ई साहिबाबाद थाना लिंक रोड जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष ।
2. हिमांशु राणा पुत्र प्रतिपाल राणा नि0 288 ए गली नं0-01 झंडापुर आई-ई साहिबाबाद थाना लिंक रोड जनपद-गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त गण के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम ।

पुलिस आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में मिशन शक्ति केन्द्र प्रभारियों के साथ समीक्षा गोष्ठी सम्पन्न, SOP के प्रभावी अनुपालन एवं शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण के दिए निर्देश

महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नरेट गाजियाबाद की अध्यक्षता में समस्त मिशन शक्ति केन्द्रों के प्रभारियों के साथ पुलिस कार्यालय में एक महत्वपूर्ण समीक्षा गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय एवं अपराध, सहायक पुलिस आयुक्त महिला अपराध, समस्त मिशन शक्ति केन्द्रों के प्रभारी तथा अन्य पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

गोष्ठी के दौरान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा मिशन शक्ति केन्द्रों के कार्यों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई तथा केन्द्रों के प्रभावी संचालन, महिलाओं को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने एवं जनविश्वास को और अधिक सुदृढ़ करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

पुलिस आयुक्त महोदय ने निर्देशित किया कि प्रत्येक मिशन शक्ति केन्द्र पर निर्धारित **Standard Operating Procedure (SOP)** का पूर्ण एवं प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, जिससे महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही स्थान पर **सुरक्षा, सहायता, परामर्श एवं आवश्यक पुलिस सेवाएँ** गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराई जा सकें।

उन्होंने सभी प्रभारियों को निर्देश दिए कि मिशन शक्ति केन्द्रों पर प्राप्त होने वाले प्रत्येक शिकायत प्रार्थना पत्र का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए उसका **समयबद्ध, निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण** सुनिश्चित किया जाए। किसी भी शिकायत के निस्तारण में अनावश्यक विलंब न हो तथा प्रत्येक प्रकरण की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए पीड़ित पक्ष को आवश्यक सहायता एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए।

गोष्ठी में यह भी निर्देशित किया गया कि मिशन शक्ति केन्द्रों के माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए संचालित **जन-जागरूकता कार्यक्रमों** को और अधिक प्रभावी बनाया जाए, ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को उपलब्ध सुविधाओं, कानूनी अधिकारों एवं सुरक्षा संबंधी सेवाओं की जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही महिला सुरक्षा से संबंधित प्रत्येक प्रकरण में संवेदनशीलता, गोपनीयता एवं मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

पुलिस आयुक्त महोदय ने कहा कि मिशन शक्ति केन्द्र महिलाओं की सुरक्षा एवं सहायता के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है। अतः सभी अधिकारी एवं कर्मचारी पूर्ण समर्पण, संवेदनशीलता एवं उत्तरदायित्व के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें, जिससे प्रत्येक पीड़ित महिला को शीघ्र न्याय, आवश्यक सहयोग एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

गोष्ठी के अंत में पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए मिशन शक्ति केन्द्रों की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं नागरिक-केंद्रित बनाने के निर्देश दिए गए, ताकि महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के उद्देश्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से साकार किया जा सके।